Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर डिस्कॉम का तकनीकी सहायक (लाइनमैन) 11 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *04 अगस्त।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर शहर इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये राकेश कुमार तकनीकी सहायक (लाइनमैन) जी.एस. एस. भाटेलाई पुरोहितान, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, आगोलाई, सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बालेसर, जिला जोधपुर को परिवादी से 11 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर शहर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन के बिल के रूप में आई भारी राशि को मीटर खराब बताकर रफा—दफा करवाने की एवज में राकेश कुमार तकनीकी सहायक (लाइनमैन) जी.एस.एस. भाटेलाई पुरोहितान, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, आगोलाई, सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बालेसर, जिला जोधपुर द्वारा 11 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर शहर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भोपाल सिंह लखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रूपसिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राकेश कुमार पुत्र श्री पदमाराम निवासी ग्राम रतनेसर, पुलिस थाना महाजन, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर हाल तकनीकी सहायक (लाइनमैन) जी.एस.एस. भाटेलाई पुरोहितान, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, आगोलाई, सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बालेसर, जिला जोधपुर को परिवादी से **11 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल—फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135—02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ—साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।